(202)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — Rs.5 INDIA FIVE RUPEES — Rs.10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्रकरण क्र0-5049/II/16
स्थापित दिनांक-14/6/16
M. 5318-दो/16

श्रीमती गौरी बा0 पत्नी रामलोचन तिवारी उम्र 81 वर्ष, नि0 भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मा ज.पं. रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0 -- निगराकार

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लक्ष्मा ज.पं. रामपुर बघेलान जि. सतना - गैर निगराकार

आवेदक अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा पेश 13.7.16
13.7.16

आवेदन-पत्र बाबत दिनांक 14/6/2016 को अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने बाबत

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है:-

(1) यह कि उक्त प्रकरण की माननीय न्यायालय मे दायरा बहस तर्क हेतु दिनांक 14/6/2016 को नियत था।

(2) यह कि उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु मुझे अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री वक्त पुकार पर दूसरे न्यायालय के पैरवी मे व्यस्त होने के कारण दोपहर करीब 2.30 पर उक्त प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जबकि न्यायालय कार्य समयावधि 5 बजे तक है 5 बजे तक प्रकरण में खारिज नही करना चाहिए पक्षकार का नुकसान होता है और न्याय के साथ खिलवाड़ होता है।

(3) यह कि अधिवक्ता माननीय न्यायालय के प्रकरण की पैरवी में जानबूझकर उपस्थित होने में लापरवाही नही किया बल्कि सिविल न्यायालय में प्रकरण की पैरवी में व्यस्तता के कारण उपस्थित नही हो सके।

(4) यह कि वकील की गलती के कारण पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता है आवेदन समय सीमा के अन्दर है।

अस्तु श्रीमान् जी से निवेदन है कि दिनांक 14/6/2016 प्र.क्र. 5049/II/016 को पुनः नम्बर पर लिए जाने की कृपा की जाय। जिससे पक्षकार न्याय मिल सके

दिनांक:- 13/7/16

प्रार्थी

श्रीमती गौरी पत्नी रामलोचन तिवारी

द्वारा अभि. महेन्द्र अग्निहोत्री एड. रीवा
M. 9993057688

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0. M.5318–II / 2016 जिला–सतना

श्रीमती गौरी ब्रा0 / आम जनता लखहा

(1)	(2)	(3)
22.08.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहात्री एड0 उपस्थित। निगरानी 5049–दो / 16 में दिनांक 14.06.16 को अनुपस्थित हेाने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है, कि व अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपरोक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी 5049–दो / 16 में दिनांक 14.06.16 को पुनः नंम्बर पर लिया जावे। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल दख्तर हों। सदस्य	